

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०), कैम्प कोर्ट रीवा (म०प्र०)
प्रकाश क्रमांक R. 4391-11/13

653
6-11-13



Rs. 20/-

श्रीमान् श्री जी. रा. सिंह
द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि० 6-11-13

R-4391-11/13

- 1- बुद्धिमान सिंह तनय स्व० लायक सिंह,
 - 2- सुरेन्द्र सिंह तनय स्व० लायक सिंह
 - 3- धर्मराज कुमारी विधवा पत्नी स्व० लायक सिंह
 - 4- गजराज सिंह तनय रघुपति सिंह
 - राजेन्द्र सिंह तनय रघुपति सिंह
 - 5- नागेन्द्र सिंह तनय रघुपति सिंह
- सभी निवासी ग्राम-क्योंटली, तहसील-चितरंगी, जिला-सिंगरौली,
(म०प्र०)आवेदक / गिराजपुर

कैम्प कोर्ट
रिवा
(म०प्र०)

बनाम

- 1- हरिपत सिंह तनय नन्दलाल सिंह
 - 2- शिवपति सिंह तनय नन्दलाल सिंह
 - 3- शिवराज सिंह तनय नन्दलाल सिंह
 - 4- शिवेन्द्र सिंह तनय नन्दलाल सिंह
 - 5- श्रीराम सिंह तनय पिता स्व० रघुवर सिंह
 - 6- संतोष सिंह तनय पिता स्व० रघुवर सिंह
 - 7- जीतेन्द्र सिंह तनय पिता स्व० रघुवर सिंह
 - 8- अम्रकेश सिंह तनय मटुकधारी सिंह
 - 9- गणेश सिंह तनय मटुकधारी सिंह
 - 10- ब्रजेश सिंह तनय मटुकधारी सिंह
 - 11- शिवनारायण सिंह तनय स्व० चन्द्र प्रताप सिंह
 - 12- रामनारायण सिंह तनय स्व० चन्द्र प्रताप सिंह
- सभी निवासी ग्राम-क्योंटली, तहसील-चितरंगी, जिला-सिंगरौली,
(म०प्र०)अनावेदक / गैरनिगराकार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.439) - 113 जिला- सिंगरौली

व्यक्तिगत सिद्ध विरुद्ध हरिनाथ सिंह

(1)	(2)	(3)
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. श्री. एन. सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 116/110-11 में पारित आदेश दिनांक 6-09-13 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 6-11-13 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

Handwritten signature/initials